रुग्ण गहन समुद्रीय मात्स्यिकी उद्योग की समस्याएं

261. **श्री राघसिंह राठवा:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रुग्ण गहन समुद्रीय मात्स्यिकी उद्योग को पेश आ रही समस्याओं की जांच हेतु किसी तकनीकी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा किन-किन समस्याओं की जांच की गई है;

(ग) क्या समिति ने इस संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई): (क) जी हां

(ख) से (घ) समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

262. *[Transferred to the 4th March, 1994]*

खाद्य-प्रसंस्करण उद्योगों का विस्तार

263. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में खाद्य-प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार की पर्याप्त संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्य-प्रसंस्करण की कितनी क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इस प्रयोजनार्थ फलों और सब्जियों के कुल उत्पादन में से कितने प्रतिशत उत्पादन का उपयोग किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इस अवधि के दौरान इस उद्योग में निवेश हेतु धनराशि भी आवंटित की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा इसमें से कितनी प्रतिशत धनराशि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में ग्रामीण अंचलों में कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु आवंटित की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई): (क) जी हां।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में है। हालांकि कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं पर आशा है कि फल और सब्जी प्रसंस्करण की क्षमता जो कि 8वीं योजना अवधि के शुरू में 9.5 लाख टन थी, योजना के अन्त तक 20 लाख टन हो जाएगी। फलस्वरूप फल और सब्जी प्रसंस्करण में भी अनुपातिक बढ़ोत्तरी होगी। 31.12.1993 को अनुमानित क्षमता 12.60 लाख टन है।

(ग) से (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 8वीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास में सहायता देने के लिए अनेक विकासात्मक योजना स्कीमें बनाई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार के संगठनों/सहकारिताओं/स्वैच्छिक एजेंसियों/संयुक्त क्षेत्रों आदि को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना अथवा विस्तार, किसानों के साथ बैकवर्ड लिंकेज विकसित करने, विपणन समर्थन, सूअर, पाल्ट्री तथा अन्य मांस प्रसंस्करण, सविधायें, टूना और अन्य मछली प्रसंस्करण सुविधायें, गहन समुद्री मात्स्यिकी तथा प्रसंस्करण, कोल्ड चेन की स्थापना करने, खाद्य प्रसंस्करण और कतिपय क्षेत्रों में पैकेजिंग तथा मानवशक्ति पर अनुसंधान तथा विकास करने में सहायता दी जाती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रत्यक्ष रूप से किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना नहीं करता।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना स्कीमों के लिए 8वीं योजना में 146 करोड़ रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है। मंत्रालय ने एक योजना स्कीम तैयार और लागू की है जिसके तहत लघु खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और प्रबंध का पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने के लिए उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के वास्ते ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए सहायता दी जाती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 7.5 करोड़ रु० के कुल परिव्यय वाले ऐसे 250 केन्द्रों को सहायता देने का प्रस्ताव है। वैसे सरकार की विभिन्न योजना स्कीमों

के तहत उद्यमियों को यूनिटें स्थापित करने के लिए सहायता दी जाती है, मंत्रालय की एक और योजना के तहत ऐसी यूनिटों के लिए 15% तक मूल पूंजी उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था है।

अतिरिक्त बॉटलिंग एककों को अनुमति देने पर रोक

264. **श्री अजीत जोगी:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि शीतल पेय कांसेंट्रेट की बिक्री कुल कारोबार के 25 प्रतिशत से अधिक न हो, अतिरिक्त बॉटलिंग एककों को अनुमति देने पर रोक लगा दी है;

(ख) क्या इसके बावजूद भी इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई गई है और यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी जांच के आदेश दिये गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई): (क) फल उत्पाद आदेश के तहत अतिरिक्त बाटलिंग संयंत्र लगाने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। नई औद्योगिक नीति के अनुसार मृदु पेय सांद्रण के निर्माण को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है और उद्यमियों को उक्त पेय के निर्माण के लिए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Health for all by the turn of the Century

265. SHRI GAYA SINGH:
SHRI N. GIRI PRASAD:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government agrees with the cross section of experts who attended the international conference on "Health, Environment and Development" held at Madurai in January, 94 - and that the expectation of health for all by the turn of the century is nothing more than a "Mirage", and

(b) if so, what are the unforeseen hurdles that have come up in the way of achieving this target; and how far the deadline to achieve the Health for all is proposed to be deferred?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) and (b) No report or details about the Conference have been received, as such no views can be expressed. However all efforts are being made to achieve the goal or Health for All in a time bound manner.

Curbing the Population Growth

266. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 120 million eligible couples of the country do not have access to the family planning services;

(b) whether it is also a fact that there is need to improve the status and role of women in checking population growth;

(c) if so, what steps Government propose to take in this regard; and

(d) whether Government also propose to utilise the services of NGOs to penetrate in the orthodox sections of the society, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) No Sir. Family Welfare Services are available to any couple desirous of availing them.

(b) Yes Sir.

(c) Population concerns are an integral part of the development programmes in the country i.e. female literacy, improving the status of women, increasing opportunities for employment of women, raising the age of marriage of girls, attitudional changes in regard to strong son preference, increasing participation of women in F.W. Programme through Mahila Swasthya